जनपद सोनभद्र पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक–01.06.2026

थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण, पिता की हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष म्योरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना म्योरपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने मृतक के पुत्र को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.05.2026 को थाना म्योरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुण्डाडीह निवासी राजदेव सिंह की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना म्योरपुर पर मु0अ0सं0-64/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन, इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी विश्लेषण तथा संबंधित व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई।

कृत कार्यवाही-

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, मुखबिर सूचना एवं अन्य तथ्यों के आधार पर मृतक के पुत्र रवि कुमार पुत्र राजदेव सिंह निवासी कुण्डाडीह थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसके पिता के एक महिला से अवैध संबंधों को लेकर परिवार में लगातार विवाद होता रहता था, जिससे वह मानसिक रूप से अत्यंत आक्रोशित एवं क्षुब्ध था।

दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से अपने पिता को जमीन दिखाने के बहाने जंगल क्षेत्र में बुलाया तथा सुनसान स्थान पर ले जाकर पहले गमछे से दबाव बनाकर गिराया, तत्पश्चात पत्थर से सिर पर वार किया तथा सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के उपरांत अभियुक्त ने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया तथा स्वयं ही अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद सर्जिकल ब्लेड, एक अदद खूनालूदा पत्थर का टुकड़ा तथा मृतक की मोटरसाइकिल की चाबी बरामद की गई। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 238(ए) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि कुमार पुत्र राजदेव सिंह, निवासी ग्राम कुण्डाडीह, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद सर्जिकल ब्लेड (आला कत्ल)
- एक अदद खूनालूदा पत्थर का टुकड़ा
- एक अदद मोटरसाइकिल की चाबी
- घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गये खूनालूदा कपडे के जले हुये राख।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रविकान्त मिश्रा, थानाध्यक्ष म्योरपुर।
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह थाना म्योरपुर।
3. हे0का0 प्रदीप कुमार राय थाना म्योरपुर।
4. हे0का0 प्रमोद कुमार थाना म्योरपुर।
5. का0 रामजीत (चालक) थाना म्योरपुर।
6. रि0का0 राजप्रबल थाना म्योरपुर।